☎ कार्यालय/फैक्सः 0135-2759799
ई-मेलः missionhortiuk@gmail.com

नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI)
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक 595/PMKSY/फर्म पंजीकरण/2020-21 दिनांकःदेहरादूनःअगस्त, 14 2020

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों के पंजीकरण हेतु सूचना

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के *Per Drop More Crop* घटक के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों के प्रक्षेत्रों पर औद्यानिक एवं कृषि फसलों की सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप, स्प्रिकंलर, पोर्टेबल स्प्रिकंलर, लार्ज वाल्यूम स्प्रिकंलर आदि) की स्थापना के लिये मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2017 से उपरोक्त योजना की संशोधित मार्गनिर्देशिका के अनुसार संचालन हेतु प्राप्त हुए निर्देश के क्रम में मार्गनिर्देशिका में दिये गये निर्देशानुसार आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून स्थित कार्यालय से नकद रु. 590.00 **(जी0एस0टी0 सहित)** का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्तें राज्य बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in तथा उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट www.tenders.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड से प्राप्त आवेदन पत्र को जमा करने पर रु. 590.00 (रुपये पांच सौ नब्बे मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो **"नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड"** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि **09.09.2020** है। आवेदन के साथ फर्म द्वारा निर्मित सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के साहित्य/फोटोग्राफ की हार्डकॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी संलग्न करनी होगी।

निदेशक, बागवानी मिशन/
नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन,
उत्तराखण्ड

कार्यालय–निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्तें

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के *Per Drop More Crop* घटक के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों के प्रक्षेत्रों पर औद्यानिक एवं कृषि फसलों की सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप, स्प्रिकंलर, पोर्टेबल स्प्रिकंलर, लार्ज वाल्यूम स्प्रिकंलर आदि) की स्थापना के लिये मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2017 से उपरोक्त योजना की संशोधित मार्गनिर्देशिका के अनुसार संचालन हेतु प्राप्त हुए निर्देश के क्रम में मार्गनिर्देशिका में दिये गये निर्देशानुसार आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निदेशक, बागवानी मिशन एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड के राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून स्थित कार्यालय से नकद रु. 590.00 **(जी0एस0टी0 सहित)** का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा निर्धारित प्रारूप/स्पेशिफिकेशन/शर्तें राज्य बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in तथा उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट www.tenders.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड से प्राप्त आवेदन पत्र को जमा करने पर रु. 590.00 (रुपये पांच सौ नब्बे मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो **"नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड"** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि **09.09.2020** है। आवेदन की अन्य शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. कम्पनी के उत्पादों का बी0आई0एस0 द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। साथ ही कम्पनी को अपनी फैक्ट्री में समस्त मुख्य उपकरण स्वयं अथवा विशेष निर्माता के सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्माता कम्पनियों/फर्मों को निर्माण व आपूर्ति के लिये प्रस्तावित उपकरणों के तकनीकी विवरण को घोषित करना होगा, जिनका विभागीय तकनीकी समिति द्वारा वास्तविक सत्यापन व जॉच के उपरान्त प्रस्तुत आख्या के आधार पर पंजीकरण किया जायेगा।
3. उन्हीं मूल उत्पादक कम्पनियों का पंजीकरण किया जायेगा, जो BIS Standard के गुणवत्तायुक्त उत्पाद की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे एवं लाभार्थियों को शीघ्रता के आधार पर बिक्री उपरान्त सेवा प्रदान करेंगे।
4. पंजीकरण उन्हीं कम्पनियों का किया जायेगा जो निम्नलिखित घटकों का स्वंय BIS मानक के आधार पर निर्माता होगें–
    - टपक सिंचाई हेतु कम्पनी को कम से कम Laterals and Emitting Devices का BIS मानक के आधार पर निर्माता होना आवश्यक होगा।
    - ऑनलाइन टपक सिंचाई हेतु कम्पनी द्वारा लेटरल ट्यूब्स (Laterals Tube) एवं ड्रीपर्स (Droppers) तथा इनलाइन (Inline) टपक सिंचाई हेतु कम्पनी द्वारा Inline Emittting Pipes का BIS मानक के आधार पर निर्माता होना आवश्यक होगा।
    - पोर्टेबल स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली हेतु कम्पनी को Coupled HDPE Pipes या Sprinklers का BIS मानक के आधार पर निर्माता होना आवश्यक होगा।
    - अन्य स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली यथा– मिनी, माइक्रो, सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर प्रणाली आदि के लिए कम्पनी को HDPE/PVC/PE Pipes/Nozzles का BIS मानक के आधार पर निर्माता होना आवश्यक होगा।
    - Large Volume Sprinkler Irrigation System (Raingun) के लिए कम्पनी को HDPE Pipes and Nozzles का BIS मानक के आधार पर निर्माता होना आवश्यक होगा।

5. कम्पनी को समस्त उपकरणों की गुणवत्ता की गारंटी देनी होगी, जिनका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया हो, लेकिन इनकी आपूर्ति निर्माता या पंजीकृत कम्पनी द्वारा की जानी है। कम्पनी द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के दिनांक से अग्रिम 03 वर्षों तक मरम्मत व उपकरणों को बदलने की मुफ्त सुविधा लाभार्थी को उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जनपद के विकासखण्ड स्तर पर अपने सेवा केन्द्रों (Service Centre) की स्थापना करनी होगी।
6. कम्पनी को केवल BIS मानक के मैटिरियल की ही आपूर्ति किसानों को करनी होगी।
7. कम्पनी को लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों पर गाइडलाईन में निर्धारित कम्पोनेन्ट के अनुसार ही उपकरण प्रणाली स्थापना के समय लगाने होगें।
8. कम्पनी को वर्ष में एक बार लाभार्थी के प्रक्षेत्र पर स्थापित टपक सिंचाई प्रणाली का Acid/Chlorine Treatment संचालित करना होगा।
9. कम्पनी लाभार्थी को स्वयं अथवा अधिकृत विक्रेता/डीलर के द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पादों के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदा होगी।
10. कम्पनी को मार्गनिर्देशिका में निर्धारित नियमों के अनुसार गुणवत्ता की जांच हेतु अपने उत्पाद निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराने होगें।
11. कम्पनी को एक Toll Free Customer care Number भी संचालित करना होगा, जिस पर लाभार्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सके। साथ ही कम्पनी को अपने समस्त सर्विस सैन्टर/कार्यालयों/अधिकृत वितरकों का पूर्ण पता/टेलीफोन नम्बर/ई–मेल की जानकारी भी समस्त लाभार्थियों एवं विभागीय कार्यालयों को उपलब्ध करानी होगी।
12. जो कम्पनी विदेशी आयातित घटकों की आपूर्ति करना चाहती है, उन्हें कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयातित उपकरणों के सम्बन्ध में NCPAH के द्वारा सम्बन्धित उपकरण के परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त तकनीकी आर्थिक विश्लेषण आख्या को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
13. कम्पनी का विगत 03 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रु. 10.00 करोड़ होना आवश्यक है।
14. सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न प्रणालियों के दर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर देनी होगी। साथ ही अतिरिक्त सूचना अलग सीट पर संलग्न करनी होगी।
15. विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के साथ रु. 590.00 **(जी0एस0टी0 सहित)** की विभागीय रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
16. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित राजसहायता के अनुरूप लघु एवं सीमान्त उद्यानपतियों/कृषकों को 55 प्रतिशत एवं अन्य उद्यानपतियों/कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। शेष अंश कम्पनी द्वारा उद्यानपतियों/कृषकों से सीधे प्राप्त किया जायेगा। कुल भुगतान लाभार्थी द्वारा कम्पनी को किया जायेगा। लाभार्थियों द्वारा किये जाने वाले भुगतान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
17. सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रणाली की स्थापना का सत्यापन इस हेतु गठित सक्षम समिति/प्राधिकारी से होने के बाद ही अनुदान का भुगतान करेगें।
18. योजनान्तर्गत पंजीकृत कम्पनी को किसान के प्रक्षेत्र पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के बाद कम से कम तीन वर्ष तक मुफ्त सेवा (Service) प्रदान करनी होगी। साथ ही जमीनी स्तर (ब्लॉक स्तर) पर तकनीकी एवं सस्य विज्ञान सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिये अपने सेवा केन्द्र (Service Centre) स्थापित करने होगें। अन्यथा की स्थिति में कम्पनी के विपरीत अन्य उपभोक्ता उत्पादों की भांति समान रूप से कार्यवाही की जा सकती है।
19. पंजीकरण के उपरान्त जिन फर्मों के कार्यालय उत्तराखण्ड में अवस्थित नहीं हैं, उन्हें एक माह की सीमा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कार्यालय स्थापित कर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार को देनी होगी।
20. प्रत्येक फर्म द्वारा विकासखण्डवार एक गांव का चयन कर उसमें प्रदर्शन प्रक्षेत्र स्थापित करना होगा एवं इन प्रक्षेत्रों पर ही चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
21. प्रत्येक फर्म द्वारा हर 03 माह में अपने कार्मिकों द्वारा स्थापित इकाईयों पर भ्रमण सुनिश्चित कराना होगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी के साथ–साथ इस कार्यालय को भी प्रेषित करनी होगी।

22. प्रत्येक फर्म द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी मैनुअल की 50–50 प्रतियां इस कार्यालय के साथ–साथ समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार कार्यालय मे उपलब्ध करानी होगी।
23. कम्पनी को उत्तराखण्ड में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के रख–रखाव हेतु तकनीकी नेटवर्क रखना होगा तथा कृषकों को प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण भी देना होगा।
24. पंजीकृत फर्मों को प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार अभियान नोडल कार्यालय के केन्द्रीयकृत स्थानों पर प्रचार अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को प्रणाली के रख–रखाव, रासायनिक उपचार एवं उर्वरकीकरण आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी।
25. कम्पनी को अपने सभी लाभार्थियों को मार्गनिर्देशिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा।
26. कम्पनी द्वारा सन्तोषजनक सेवा/आपूर्ति न किये जाने अथवा मार्गनिर्देशिका में निर्धारित नियमों के उल्लघंन पर मार्गनिर्देशिका में दी गई व्यवस्था के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
27. पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि **09.09.2020** होगी।
28. आवेदन नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।
29. आवेदन के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के फोटोग्राफ/साहित्य की हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी संलग्न करनी होगी।
30. निर्धारित शर्तों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा विभागीय समिति की संस्तुति पर राज्य कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीकरण हेतु प्राप्त सूचीबद्ध मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों एवं उनके द्वारा प्रदत्त दरों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति से अनुमोदनोंपरान्त कम्पनी एवं उनकी दरों को पंजीकृत किया जायेगा। पंजीकरण होने के बाद सम्बन्धित कम्पनियों/फर्मों को सूचना दी जायेगी।
31. कम्पनियों के पंजीकरण उपरान्त प्रदर्शन के आधार पर ही राज्य की कार्यदायी संस्था एवं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा अग्रिम वर्षो हेतु पंजीकरण जारी रखने हेतु विचार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
32. राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) को कम्पनी के द्वारा सन्तोषजनक प्रदर्शन न किये जाने पर पंजीकरण समाप्त करने का भी अधिकार होगा।
33. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु संशोधित मार्गनिर्देशिका में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसका परिपालन समस्त पंजीकृत फर्मों को करना होगा।
34. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लगातार संचालन से हुई टूट–फूट के दौरान यदि किसी पार्ट्स या कम्पोनेन्ट की मरम्मत या बदलने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित कम्पनी को उक्त पार्ट्स/कम्पोनेन्ट की मरम्मत/बदलना होगा, जिसकी आवश्यक कीमत को लाभार्थी से प्राप्त किया जायेगा। ऐसा प्रणाली की वारन्टी अवधि समाप्त होने की स्थिति में ही किया जायेगा। वारन्टी अवधि में किसी भी कम्पनी द्वारा लाभार्थी से किसी भी प्रकार की वसूली नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा
35. योजनान्तर्गत समस्त पंजीकृत कम्पनियों एवं फर्मों द्वारा यदि PMKSY द्वारा प्राख्यापित मार्गनिर्देशिका में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो मार्गनिर्देशिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक, बागवानी मिशन/
नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन,
उत्तराखण्ड

☎ कार्यालय/फैक्सः 0135-2759799
ई-मेलः missionhortiuk@gmail.com

नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI)
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

पत्रांक ________/PMKSY/फर्म पंजीकरण/2020-21 दिनांकःदेहरादूनःअगस्त, 2020

प्रारूप-1
टैक्नीकल बिड
(आवेदन सीलबन्द लिफाफे में ही बन्द कर किया जाय)

आवेदन फार्म सं0 आवेदन शुल्कः- Rs. 590/-

1. फर्म का नाम व पताः
2. आवेदन हेतु जमा की की धनराशि का विवरणः
   विभागीय कैश रसीद/ड्राफ्ट संख्या :-
   दिनांक :-
   धनराशि :-
3. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के घटकों हेतु बी0आई0एस0 लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. फैक्ट्री में समस्त मुख्य उपकरण स्वयं अथवा विषेश निर्माता के सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण।
5. आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. कम्पनी द्वारा स्वयं निर्माण न किये गये, किन्तु आपूर्ति किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता आश्वासन गारंटी का प्रमाण।
7. कम्पनी द्वारा विदेशी उपकरणों की आपूर्ति किये जाने हेतु एन0सी0पी0ए0एच0 की सत्यापन एवं सहमति के उपरान्त कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त स्वीकृति का प्रमाण।
7. वाणिज्यकर/वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. उद्योग विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. एक्साईज विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
10. आयकर विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
11. फैक्ट्री लाइसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
12. गत 03 वर्षों के टर्न ओवर के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
13. उत्तराखण्ड में कम्पनी के नेटवर्क का विवरण।
14. फर्म के पैन एवं टिन नम्बर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
15. अन्य शर्त संलग्न हैं।

मेरे द्वारा आवेदन की शर्तें भली-भॉति पढ/समझ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया सहमत हूॅं।

आवेदनकर्ता/कम्पनी के अधिकृत आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता/कम्पनी के अधिकृत आवेदनकर्ता का नाम
कम्पनी का नाम/पता-
फोन/फैक्स नं0-
सील-

आवेदन हमारे सम्मुख खोले गये
समिति के सदस्यों का नाम/हस्ताक्षर

1.
2.
3.

किसानों के प्रक्षेत्रों पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की विभिन्न दूरी एवं क्षेत्रफल के आधार पर स्थापना हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण

प्रारूप–2
(वित्तीय बिड)

क्र. सं.	मद का नाम	धनराशि (रु. में)					
		0.4 है0	1.0 है0	2.0 है	3.0 है0	4.0 है	5.0 है0
अ.	टपक सिंचाई						
दूरी							
1	12x12 मीटर						
2	10x10 मीटर						
3	9x9 मीटर						
4	8x8 मीटर						
5	6x6 मीटर						
6	5x5 मीटर						
7	4x4 मीटर						
8	2.5x2.5 मीटर						
9	2x2 मीटर						
10	1.5x1.5 मीटर						
11	2.5x0.6 मीटर						
12	1.8x0.5 मीटर						
13	1.2x0.6 मीटर						

प्रारूप–2

क्र. सं.	मद का नाम	धनराशि (रु. में)					
		0.4 है0	1.0 है0	2.0 है	3.0 है0	4.0 है	5.0 है0
अ.	**पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई**						
1	63 मिलीमीटर						
2	75 मिलीमीटर						
3	90 मिलीमीटर						
ब.	**माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई**						
1	5x5 मीटर						
2	3x3 मीटर						
स.	**मिनी स्प्रिकंलर सिंचाई**						
1	10x10 मीटर						
2	8x8 मीटर						
द.	**सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर**						
य.	**लार्ज वाल्यूम स्प्रिंकलर (Raingun)**						
1	63 मिलीमीटर						
2	75 मिलीमीटर						
3	90 मिलीमीटर						

नोटः— उपरोक्त सारणी में उल्लिखित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन ही मान्य होंगे। प्रणाली स्थापना पर राज सहायता का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (PMKSY) योजना के **Per Drop More Crop** घटक के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ही क्षेत्रफल व दूरी के अनुसार **Prorata** के आधार पर आंगणन कर राज सहायता का भुगतान किया जायेगा।

कम्पनी का नाम

....

कम्पनी द्वारा अधीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

....

कम्पनी द्वारा अधीकृत प्राधिकारी का नाम

....

मोहर (यदि है तो)

....